प्रेस नोट **18/03/2025**

वध हेतु ले जा रहे 27 राशि गोवंश के साथ एक ट्रक बरामद, 02 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.03.2025 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नई बाजार पुलिया अण्डर पास से एक अदद ट्रक (UP 54 T 8139, 12 चक्का) से वध हेतु ले जा रहे 27 राशि गोवंश (17 राशि गाय, 04 राशि बछिया, 03 राशि बछड़ा व 03 राशि बैल) के साथ 02 अन्तर्जनपदीय अभियुक्तगण सलमान पुत्र लईक अहमद निवासी बिसहर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ, सलीम पुत्र शोएब अहमद निवासी जैराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ को गिरफ्तार किया गया। पुछताछ में पकड़े गये गोतस्करो द्वारा बताया गया कि यह गोवंश जनपद जौनपुर के शाहगंज से लादकर आजमगढ़ , देवरिया होते हुए बिहार ले जाना था। इस संबंध में उक्त अभियुक्तो के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0सं0अ0 32/25 धारा 3/5ए/8ध गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया । बरामद ट्रक को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. सलमान पुत्र लईक अहमद निवासी बिसहर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ ।
2. सलीम पुत्र शोएब अहमद निवासी जैराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ ।

बरामदगी–

1. 27 राशि गोवंश) 17 राशि गाय ,04 राशि बछिया ,03 राशि बछड़ा व (राशि बैल 03 ।
2. एक अदद ट्रक (UP 54 T 8139, 12 चक्का) ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
2. उ.नि. अमितेष मिश्र थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
3. हे.का. राजबहादुर यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
4. का. संजीव सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
5. का. रमाकान्त यादव थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
6. का. हृषिकेश पाण्डेय थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
7. का. अमित शर्मा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ

आपराधिक इतिहास–

सलीम पुत्र सोएब–

1. मु0अ0सं0 249/17 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 79/20 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

सलमान पुत्र लईक–

1. मु0अ0सं0 125/20 धारा 147/148/149/308/323/427/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 67/22 धारा 308/323/427/504/506 भादवि मेहनगर जनपद आजमगढ़ ।

3. मु0अ0सं0 504/22 धारा 380/411/457 भादवि निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

एक जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.03.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सम्राट पैलेस मैरेज हाल के पास से अभियुक्त स्वराज सिंह उर्फ रानू सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी इंदारा थाना कोपागंज जनपद मऊ को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा 05.12.2024 को जिलाबदर आदेश जारी होने व आदेश का तामिल बजात खास तामिल होने के बाद भी घर के आस पास रहना अपराध है। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 75/25 धारा 4/10 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. स्वराज सिंह उर्फ रानू सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी इंदारा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. हे0का0 राजकुमार पाल थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. का0 अरविन्द यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. संदीप कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 18.03.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर देवलास बाजार मंदिर के पास जाने वाले मार्ग के पास से मु0अ0सं0 101/25 धारा 64, 351(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त संदीप चौहान पुत्र ज्ञानचन्द उर्फ खजान्ती निवासी आरीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।